न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0– 270/2022

21.10.2022

वादी द्वारा दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 10 धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक–20.07.2022 में कथन है कि गरीब सलामत गुजारीश हाल यह है कि मन मुदई ने मौजुदा मोकदमा वसिका कबाला दस्तावेज नंबर 6078 दिनांक 21.04.2022 नविस्ते मुदालेह फरीक 1 जाली फरेबी वो विक्रेता के हक हिस्सा से अधिक एराजी होने कारण एक शून्य विलेख है घोषित करने हेतु दायर किया है साथ ही मुदालेह नंबर 1 के द्वारा मुदालेह फरीक 2 को बय की गयी एराजी में यदि विक्रेता का कोई हक हिस्सा पाया जाता है तो वादी के अधिमानी अधिकार के अन्तर्गत क्रय करने का भी अनुतोष मांगा है। श्रीमान् मुदालेह फरीक दो वो उसके शौहर काफी जोर पुस्त है वो वे विवादित एराजी में मकान बनाने हेतु बिल्डींग मेटेरियल जमा कर लिये वो जबरन मकान बनाने हेतु नींव का खोदाई करना शुरू किये हैं। इससे मन मुदई को अपना दावा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने के काफी कठिनाई होगी वो विवादित एराजी का हैत वो हालात बदल जाएगा।

प्रतिवादी द्वारा दाखिल दूसरा प्रतिउत्तर आवेदन दिनांक–27.07.2022 में प्रतिवादी का कथन है कि प्रस्तुत आवेदन बिल्कुल मिसकन्सीभ्ड है वो कानूनतः स्वीकृत होने योग्य नहीं है। मुदई का दावा भेग, काल्पनिक वो अनसर्टेन है। यह कि मुदालेह सं0ख्या 1 संतोष कुमार सिंह द्वारा बॅटवारा से प्राप्त अपनी हकियती वो दखली एराजी के रिस्वत दिनांक–21.04.2022 को मुदालेह संख्या 2 के पक्ष में पंजीकृत कबाला लिखकर कब्जा–दखल दे दिया गया। विवादित कबाला के आधार पर मुदालेह संख्या 2 खाश दखल कब्जा में रहते चली आ रही है जिससे मुदई या किसी दीगर का कोई एलाका वो सरोकार नहीं है। विवादित कबाला विक्रेता के हिस्से के अन्दर निष्पादित बिल्कुल सही वो दुरूश्त दस्तावेज है। मुदई द्वारा दाखिल वाद पत्र में किया गया कथन आपस में विरोधाभाषी है। मुदई द्वारा विवादित कबाला को शून्य घोषित होने हेतू अनुतोष की मांग किया गया है वो साथ ही पूर्व क्रयाधिकार के अधिकार पर विवादित कबाला में दर्ज एराजी को अपने पक्ष में कबाला तहरीर कराने का भी अनुतोष की मांग किया गया है जो कानूनतः सही नहीं है। सही वो दुरूश्त कबाला के निस्वत खरीददार के हकियत वो कब्जा दखल को स्वीकार करते हुए ही पूर्व क्रयाधिकार के आधार पर दावा किया जाना कानूनतः सही है। मुदालेह संख्या 2 बोनाफाईड परचेजर फार भैल्यू है जबकि मुदई द्वारा वाद पत्र के पारा संख्या 7 में विवादित कबाला को बिना रूपया–पैसा के निष्पादित होना वो वाद पत्र के पारा संख्या 8 (ग) में विवादित एराजी पर मुदालेह संख्या 2 का दखल कब्जा नहीं होने का बयान किया गया है। स्व0 बैजनाथ सिंह के वंशजों में सभी मौरूसी एराजीयात के निस्वत माकूल वो मुस्तकिल तौर पर खानगी बॅटवारा हो चुका है वो उसी खानगी बंटवारा के आधार पर मुदई की माता कलावती देवी एवं भाई द्वारा विवादित प्लाट के अपने हिस्से की एराजी के निस्वत दिनांक–22.07.2021 एवं 2 जून 2022 क्रमशः को मुहम्मद खुर्शीद आलम पिता मोहम्मद मौसूद आलम वो विनय शंकर पिता श्रीराम कैलाश प्रसाद के पक्ष में पंजीकृत कबाला तहरीर कर खरीददार को कब्जा दखल दे दिया गया। विवादित प्लॉट के सटे प्लॉट संख्या 2005 की एराजी मुदई, मुदई के सगे भाईयों वो मुदालेह संख्या 1 की मौरूसी एराजी है जिसमें खानगी बंटवारा से प्रापत अपनी एराजी के निस्वत दिनांक–04.04.2022 को मुदई के सगे भाईयों चन्द्रभान उर्फ चन्द्रमा सिंह, ऋषि कुमार सिंह द्वारा राम कैलाश प्रसाद के पक्ष में वो दिनांक 11.07.2019 को मुदई की माता कलावती देवी द्वारा मानकी देवी के पक्ष में पंजीकृत कबाला तहरीर कर खरीददारान को कब्जा दखल दे दिया गया। वादी का दावा प्रथम दृष्टया सही नहीं वो सुविधा का संतुलन मुदालहा सं 2 के पक्ष में है जो मुदई का कहना सही है कि निषेधाज्ञा आदेश जारी होने मुदालहा को अपूरणीय क्षति होगी। वादी द्वारा मांग किए गए अनुतोष के मद्देनजर मुदालहा संख्या 2 के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित होना कानूनतः सही नहीं है। अतः प्रार्थना है कि मुदई द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–20.07.2022 को खारिज किया जाए।

साथ ही वादी द्वारा एक अन्य आवेदन भी दिनांक–20.10.2022 को ही दिया है जिसमें कथन है कि गरीब सलामत गुजारीश हाल यह है कि मुदालेह नंबर 2 विवादित एराजी का हैत

वो हालात बदलने हेतु निर्माण कार्य करना शुरू किये हैं वो बिल्डींग मेटरियल भी जुटा लिए है ऐसे हालात में विवादित एराजी के यथास्थिति के बावत प्रतिवेदन प्राप्त करना जरूरी है। अतःसवाल हाजा दाखिल कर प्रार्थी अनुरोध करता है कि किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर के हसब जैल बिन्दुओं पर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया जाए।

मुदालेहम की तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–27.07.2022 में मुदई द्वारा दाखिल स्थल निरीक्षण आवेदन दिनांक–20.07.2022 के विरूद्ध प्रतिउत्तर में कहा गया है कि मुकदमा में मांग किए गए अनुतोष के मद्देनजर विवादित एराजी के निस्वत स्थल जांचप्रतिवेदन का दाखिल होना कानूनतः कतई आवश्यक नहीं है। स्थल जांच प्रतिवेदन से मुकदमा के निष्पादन में किसी तरह का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। मुदई द्वारा मुकदमा के निष्पादन में बिलम्ब करने के उद्देश्य से न्यायालय के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने वो मुदालेहम को नाहक तंग वो परेशान करने के उद्देश्य से बिना उद्देश्य के आवेदन दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अस्थाई व्यादेश की मांग के लिए जो आधार प्रस्तुत किया है उससे ना तो प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता है और ना ही वादी को कोई अपूरणीय क्षति होना ही प्रतीत होता है क्योंकि वादी के द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति पर अपने विधिक अधिकार को न्यायालय में पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया है और ऐसा भी कोई आधार नहीं दिया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि यदि वादी के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया तो उसे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। वाद अभी प्रारम्भिक चरण में है तथा धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुपालन के लिए नियत है तथा वाद के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा समानांतर दो अनुतोष विक्रय विलेख को शून्य करने तथा पूर्व क्रियाधिकार की मांग की है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी भी आश्वस्त नहीं है कि वह किस अधिकार का अधिकारी है। उपरोक्त परिस्थितियों में वाद के संपूर्ण गुण–दोष के बिना कोई निष्कर्ष वादी के पक्ष में नहीं निकाला जा सकता है। वादी के द्वारा नींव खोदने का भी कोई प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद में किसी प्रकार की अस्थाई व्यादेश का जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाता है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का जो निवेदन किया है वह मामले के तथ्यों, परिस्थितियों में आवश्यक प्रतीत नहीं होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्र करने के आशय मात्र से यह आवेदन दाखिल किया है। अतः न्यायहित में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का उक्त आवेदन भी खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक–21.11..2022 वास्ते 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता हेतु।

लेखापित
Sd/-
मुंसिफ, डुमरॉव